



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266810
CG-DL-E-09102025-266810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4480]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2025/आश्विन 17, 1947

No. 4480]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2025/ASVINA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2025

सं. 64/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4609(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	1108 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	1132 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	1120 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	1141 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	1144 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	1143 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	1181 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
8	7404 00 22	पीतल स्ट्रैप (सभी ग्रेड)	5690 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	1300 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	1515 प्रति किलोग्राम(अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
3	71	(i) रजत, पदकीय या रजत सिक्कों से भिन्न किसी भी रूप में, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप; (ii) पदकीय या रजत सिक्के, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या डाक, कुरियर या सामान के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप।	1515 प्रति किलोग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)

		स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्ररूप में रजत के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के सिक्के, रजत से बने आभूषण या रजत से बनी वस्तुएं नहीं हैं।	
4	71	(i) स्वर्ण बार, तोला बार से भिन्न, जिस पर विनिर्माणकर्ता या रियाइनर का खुदा हुआ क्रम संख्यांक और मिट्रिक यूनिटों में भार अभिव्यक्त है; (ii) स्वर्ण सिक्के, जिसमें 99.5 प्रतिशत से अन्यून स्वर्ण है, और स्वर्ण प्राप्तियां, डाक, कुरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न। स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "स्वर्ण प्राप्तियां" से कोई छोटा संघटक, जैसे हुक, क्लास्प, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक, जिसका उपयोग पूर्ण आभूषण या उसके किसी भाग को स्थान में जोड़े रखने के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है।	1300 प्रति 10 ग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	7463 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)"

2. यह अधिसूचना 10 अक्तूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 467/01/2025-सीमा शुल्क.V]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 60/2025-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 सितम्बर 2025, जिसे का.आ. 4459(अ) दिनांक 30 सितम्बर 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2025

No. 64/2025-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 4609(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely: -

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	1108 (i.e., no change)
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	1132 (i.e., no change)
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	1120 (i.e., no change)
4	1511 10 00	Crude Palmolein	1141 (i.e., no change)
5	1511 90 20	RBD Palmolein	1144 (i.e., no change)
6	1511 90 90	Others – Palmolein	1143 (i.e., no change)
7	1507 10 00	Crude Soya bean Oil	1181(i.e., no change)
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	5690 (i.e., no change)

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 356 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed	1300 per 10 grams
2.	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 357 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed	1515 per kilogram (i.e., no change)
3.	71	(i) Silver, in any form, other than medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92; (ii) Medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, silver in any form shall not include foreign currency coins, jewellery made of silver or articles made of silver.	1515 per kilogram (i.e., no change)
4.	71	(i) Gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer's or refiner's engraved serial number and weight expressed in metric units;	1300 per 10 grams

		(ii) Gold coins having gold content not below 99.5% and gold findings, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, “gold findings” means a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of Jewellery in place.	
--	--	--	--

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	7463 (i.e., no change)”

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2025.

[F. No. 467/01/2025-Cus.V]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 60/2025-Customs (N.T.), dated the 30th September 2025 e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4459 (E), dated 30th September 2025.